

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 1383/जे.आ.दे.नं-11-3/08

दिनांक: दिसम्बर 24, 2008

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि सतत रूप से तथा योजनान्तर्गत कार्य के इच्छुक श्रमिकों का जॉब कार्ड वितरित किये जाने के सन्दर्भ में कार्यवाही जारी रहे जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि कार्य करने का इच्छुक हो उसे जॉब कार्ड के अभाव में योजनान्तर्गत कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न जनपदों के स्थलीय सत्यापन से प्राप्त आख्या/फीडबैक में यह पाया गया है कि अभी भी इस कार्य को अभियान के रूप में किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के अतिरिक्त आप सभी अवगत हैं कि 15 अगस्त 2008 के पश्चात श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस के खाते के माध्यम से ही होना है। इसके लिये यह आवश्यक है कि योजनान्तर्गत कार्य करने के लिये इच्छुक समस्त व्यक्तियों के खाते खुलवाये जायं।

उपरोक्त गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के अभियान के रूप में आगामी एक सप्ताह तक संचालित करना है एवं यह प्रयास करना है कि शत-प्रतिशत जॉब कार्ड वितरण सुनिश्चित हो और कार्य के लिये इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति का बैंक एकाउन्ट खुलवा लिया जाय। एक सप्ताह के पश्चात उपरोक्त अभियान में सर्वाधिक सफल तीन खण्ड विकास अधिकारियों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया नरेगा योजना के क्रियान्वयन में उक्त गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त को संचालित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग यादव)  
अपर आयुक्त  
ग्रा0वि0, उ0प्र0।

संख्या: / (1) / तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(अनुराग यादव)  
अपर आयुक्त  
ग्रा0वि0, उ0प्र0।

